Statement-III

Number of placements made during the years 1994, 1995 and 1996 in regard to handicapped persons

Sr. No	Name of District	No. of placements made during the year		
		1994	1995	1996
1.	Amritsar	10	6	8
2.	Gurdaspui	7	8	8
3.	Jalandhar	2	8	1
4.	Nawanshehar	—	—	1
5.	Kapurthala	3	1	5
6.	Hoshiarpur	2	9	10
7.	kudhiana	5	8	6
8.	Ferozepur	3	3	4
9.	Patiala	9	16	7
10.	Fatehgarh Sahib	—	—	—
11.	Sangrur	3	1	3
12.	Bhatinda	3	3	3
13.	Mansa	1	—	3
14.	Faridkot	4	—	1
15.	Moga Distts, created	—	—	4
16.	Muktsar w.e.f. 11/95	—	—	—
17.	Ropar	3	13	1
	TOTAL:	55	76	65

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) के अंतर्गत संस्वीकृत बाल श्रम परियोजना

4330. **श्री मोहिन्द्र सिंह कल्याण**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत सरकार ने अब तक राज्य-वार कितनी बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने बाल श्रम की बहुलता वाले राज्यों में बाल श्रमिकों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है या करने का प्रस्ताव है;और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम.अरुणाचलम): (क) अभी तक 76 परियोजनाओं को मंजुरी प्रदान की गई है जिनमें 1,55,250 बालकों को शामिल किया गया है। राज्य-वार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)

(2) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए एन.सी.एल.पी. के अधीन निधियों का आवंटन क्रमश: 33.00 करोड़ रु. और 54.30 करोड़ रुप्ये था।

(ग) और (घ) भारत के उव्वतम न्यायालय ने दिनांक 10.12.1996 के अपने फैसले में खतरनाक व्यवसायों में कार्य कर रहे बालकों को कार्य से निकालने और उन्हें पुनर्वासित करने के तरीके और गैर-खतरनाक व्यवसायों में कार्य कर रहे बालकों की कार्य की दशओं को विनियमित करने और उनमें सुधार करने के संबंध में भी अनेक निर्देश दिए हैं। न्यायालय द्वार दिए गए

महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक कामकाजी बालकों के सर्वेक्षण से है जिसे छह माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है। सर्वेक्षण कराने के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निधियां पहले ही आबंटित कर दी गई हैं। सर्वेक्षाण कार्य फिलहाल प्रगति में है।

विवरण

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अधीन व्यप्ति

क्र.सं.	राज्यों के नाम	शामिल किए गए जिलों की संख्या	मंजूर की गई व्याप्ति स्कूलों की संख्या	बालकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	20	807	43,550
2.	बिहार	01	174	12,200
3.	गुजरात	02	040	2,000
4.	कर्नाटक	03	100	5,000
5.	मध्य प्रदेश	05	138	9,800
6.	महारष्ट्र	06	074	3,700
7.	उड़ीसा	16	430	33,000
8.	राजस्थान	02	060	3,000
9.	तमिलनाडु	08	379	19,500
10.	उत्तर प्रदेश	04	150	11,5000
11.	पश्चिम बंगाल	06	219	12,000
	कुल	76	2571	155250

BIFR consent for recovery of ESI and EPF Dues

4331. SHRI DIPAKNER MUKHERJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Section 22 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, inter alia stipulates that execution and other recovery measures for ESI and EPF dues from defaulting establishments cannot be resorted to without consent of BIFR;

(b) if so, the number of such defaulting establishments registered with BIFR as on 31st March, 1997;

(c) whether ESI and EPF authorities are reluctant to approach BIFR for getting consent for recovery of dues;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) if not, the number of cases where ESI and EPF authorities have approached BIFR for recovery of dues?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) According to available information the details are as given below:—

	No. of defaulting establishments registered with BIFR
EPF dues (as on 31.3.96)	318
ESI dues (as on 30.9.96)	346

(c) to (e) EPF authoiities approach BIFR for recovery of EPF dues subject to certain relaxations. In few cases, ESI authorities have approached BIFR for getting its consent for recovery of dues.